Form No. III
फर्दअहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

भंवरलाल बनाम **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़**

कार्यवाही अन्तर्गत :– धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

किस्म मुकदमा **अपील (सूचना का अधिकार)** नं0 **051** सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.07.2024	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो पेश हुई। अपीलार्थी भंवरलाल पिता भेरा जाट निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 9785847256) ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़** को जरिये रजिस्टर्ड डाक संख्या **RR362611907IN** दिनांक 13.05.2024 से प्रेषित आवेदन पत्र के संबंध में प्रथम अपील प्रेषित की गई है। उक्त अपील आवेदन में अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी को संबंधित लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 22.07.2024 को प्रस्तुत करना बताया गया है जबकि अपीलार्थी द्वारा रजिस्टर्ड रसीद दिनांक 13.05.2024 की छाया प्रति प्रस्तुत की जाकर वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उक्त आवेदन के संबंध में अपीलार्थी **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदसेर जिला चित्तौड़गढ़** द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से व्यथित होकर अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। यहॉ उल्लेखनीय है कि यह प्रथम अपीलीय न्यायालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही प्रथम अपील ग्रहण करता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़** के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है एवं **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़** लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत आते है, ऐसी स्थिति में **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़** के विरूद्ध सूचना के अधिकार सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है। किन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़** को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं ना ही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर का प्रस्तुत आवेदन पत्र की छाया प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है जो कि प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने बाबत् आवश्यक दस्तावेज है, ऐसी स्थिति में अपील द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवश्यक दस्तावेज के अभाव में ग्रहण योग्य नहीं है, अतः वर्तमान स्थिति में अपील अपीलार्थी ग्रहण योग्य नहीं होने से अपीलार्थी को इन निर्देशों के साथ निस्तारित किया जाता है कि अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर को प्रस्तुत आवेदन पत्र की छाया प्रति एवं पोस्टल रसीद एवं पोस्टल ऑर्डर की छाया प्रति मय अपील आवेदन के दौ प्रतियों में प्रस्तुत करावें। उपर्युक्त विश्लेषण के साथ के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील ग्रह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से खारीज की जाती है, अपीलार्थी को उपरांकित स्थिति में नवीन अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर अभिलेख में अंकन किया जावें। अहकाम की प्रतिलिपि अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावें पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। -S/D- (आलोक रंजन) **लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी** जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 262.07.2024	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official